

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 12.03.26

क्रमांक/2026/3071

प्रार्थीगण
1.अणदू पत्नी हीराराम 2.
खनूदेवी पत्नी रूपाराम 3.
खेनाराम पुत्र बुधराराम 4.
चनणाराम पुत्र खेताराम
5.चैनाराम 6.तुलछाराम
पिसरान हीराराम 7.
निम्बाराम पुत्र खेताराम 8.
पन्नाराम पुत्र रूपाराम 9.
पूराराम पुत्र हीराराम 10.
पूरों पत्नी खेताराम 11.
बाबुराम पुत्र रूपाराम
जातियान जाट
निवासीयान ईशराम नगर,
दूदाबेरी तहसील व
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 धर्मराम पुत्र गोमाराम 2.चौखाराम 3.वागाराम 4.रेखाराम
पिसरान हरदानराम जातियान जाट निवासीयान ईशराम नगर
दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर 5.धाराराम पुत्र भीखाराम
जाति मेघवाल निवासी पूर्णनगर, नांद तहसील व जिला बाड़मेर
6.रामूदेवी पत्नी गोरखाराम जाति मेघवाल निवासी खतियों का
तला, चौखला तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर 7.पूनमाराम
पुत्र भीखाराम 8.अन्नु देवी पत्नी ताजाराम 9.पुरखाराम 10.
रेखाराम 11.रामाराम 12.हनुमानराम पिसरान ताजाराम 13.
देवाराम 14.रामाराम पिसरान रावताराम जातियान जाट
निवासीयान अणदाणियों का तला, दूदाबेरी तहसील व जिला
बाड़मेर 15.तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 677/2025

दिनांक- 10.03.2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ईशराम नगर पटवार हल्का दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या
516 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 517 रकबा 12.3510 हैक्टेयर, खसरा संख्या 75 रकबा 1.3112
हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व
पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर

दिनांक- 12.03.26

क्रमांक :- रीडर/2026/3072 - 3075

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दूदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अणदू पत्नी हीराराम वगैराह जाति जाट निवासी निवासीयान ईशराम नगर, दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण धर्मराम पुत्र गोमाराम वगैराह जातियान जाट निवासी ईशराम नगर, दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर